कार्यालय प्रधानाचार्य, बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर।

संख्या /बीआरजी/एमसी–24/ईसी–1 दिनांकः 19 दिसम्बर, 2024

विज्ञप्ति/सूचना

शासनादेश संख्या–4661/71–1–08–जी–63/2008 दिनांक 15.12.2008 एवं तत्क्रम में जारी अन्य शासनादेशों के अनुपालन में एन0एम0सी0 मानकों की पूर्ति हेतु बी0आर0डी मेडिकल कालेज, गोरखपुर में विशिष्टतवार रिक्त आचार्य, सह–आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु एतद्द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि उक्त पदों पर साक्षात्कार हेतु कालेज कमेटी कक्ष, प्रधानाचार्य कार्यालय, बी0आर0डी मेडिकल कालेज, गोरखपुर में प्रातः 10:00 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें, जिसका साक्षात्कार दिनांक 24.12.2024 (दिन मंगलवार), दिनांक 27.12.2024 (शुक्रवार) एवं 31.12.2024 (मंगलवार) को होना सुनिश्चित हुआ है। शासन द्वारा निर्गत रोस्टर के अनुसार विशिष्टतावार रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है:–

क्र0सं0	विशिष्टता का नाम	रिक्त पदों का विवरण 100 प्वाइंट रोस्टर के अनुसार														
		आचार्य					सह–आचार्य					सहायक आचार्य				
		SC	UR	OBC	EWS	ST	SC	UR	OBC	EWS	ST	SC	UR	OBC	EWS	ST
1	आब्सटेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलॉजी		1	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--
2	एनेस्थीसियोलॉजी	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	
3	सामान्य मेडिसिन		1	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
4	टी0बी0 एण्ड चेस्ट	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
5	पीडियाट्रिक्स	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6	फार्माकालोजी	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--
कुल योग		0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0

संविदा पर नियुक्ति की शर्ते निम्नवत् है–

1. संविदा पर नियुक्त किये जाने वाले आचार्यों को शासनादेश संख्या–109/2024/176/71–1001–804–2020 दिनांक 18 जुलाई, 2024 के अनुसार नियत वेतन रू 2,20,000/– सह–आचार्यों के नियत वेतन रू 1,60,000/– एवं सहायक आचार्यों का नियत वेतन रू 1,20,000/– प्रतिमाह देय है। वेतन के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा। शासकीय पत्र सं0 250/2018/4067/71–1–2017–जी–63/2008 चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊ, दिनांक– 20 सितम्बर 2018 एवं शासकीय पत्र सं0–71–1001(099)/304/2021–1–435 1/111674/2021 दिनांक 02 नवम्बर, 2021 के द्वारा राजकीय चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाओं के सेवानिवृत आचार्य को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त संविदा के आधार पर आचार्य के पद पर नियुक्त करने हेतु नियत वेतन रू 2,20,000/– प्रतिमाह दिया जाएगा। सेवा शर्तों विषयक विवरण महानिदेशालय एवं कॉलेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। आवेदक को **Medical Council of India, Minimum, Qualification for teacher in Medical Institutions Regulation, 1999** द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी प्रकार के भत्तों, बोनस एवं पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं के का हकदार नहीं होगा।
2. शासनादेश संख्या– 562/71–1–2020–जी–63/2008 दिनांक 10.06.2020 के प्रस्तर–2 के अनुसार संविदा पद नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष तथा सह–आचार्य हेतु 64 एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
3. एन0एम0सी0 मानकों के अनुसार सहायक–आचार्य पद के लिये सम्बन्धित विभाग में 01 वर्ष के एस0आर0/ट्यूटर अथवा एन0एम0सी0 मानकों के अनुरूप अनुभव होना अनिवार्य है।
4. चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उ0प्र0 राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2005 में निहित व्यवस्था के अनुसार होना आवश्यक है।

5. चयनित चिकित्सा शिक्षक ओ0पी0डी0 के दिन प्राईवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
6. प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को प्राईवेट प्रैक्टिस करने का स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
7. कोई भी चिकित्सा शिक्षक मरीजों को प्राईवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
8. प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कॉलेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
9. उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी भी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होगे।
10. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।
11. चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल 01 वर्ष का होगा एक वर्ष की संतोषजनक सेवाओं के पश्चात् उ0प्र0 शासन के शासनादेशों के अनुरूप ही अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।
12. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए आवश्यक होगा कि वह अनुबन्ध के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ को तत्काल भेजी जायेगी।
13. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी भी प्रकार के पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसे कालावधि के लिए बोनस देय नहीं होगा।
14. चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिए हकदार नहीं होगें।
15. संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष और किसी भी समय एक माह की सूचना या उसके बदले एक माह का वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
16. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्तें ऐसी होगीं जिसे करार या अनुबंध में विनिर्दिष्ट की जायें। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षक द्वारा अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जाएगा कि भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगें और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
17. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय को घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके विरूद्ध मा0 न्यायालय में कोई आपराधिक वाद प्रचलित नहीं है और यदि उनके विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगीं।
18. उक्त संविदा पदों पर चयन, महाविद्यालय स्तर पर चयन समिति की संस्तुति के आधार पर शासन/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के द्वारा की जाएगी। अन्तिम चयन की प्रकिया शासन/महानिदेशालय द्वारा निर्गत आदेशों/निर्देशों के अधीन होगी।
19. उ0प्र0 शासन कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश सं0– 5/2019/4/1/2002/का–2/2019टी.सी.1 लखनऊ दिनांक 13 अगस्त 2019 के अनुसार शासन से अद्यतन निर्गत 100 बिन्दु के रोस्टर के अनुसार आरक्षण लागू होगा।
20. नियुक्ति सम्बन्धी शर्ते कॉलेज की वेबसाइट www.brdmc.ac.in अथवा महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण जवाहर भवन लखनऊ की वेबसाइट www.updgme.com पर प्रदर्शित है।
21. पदों की संख्या घट–बढ़ सकती है।
22. साक्षात्कार हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

प्रधानाचार्य
राजकीय मेडिकल कॉलेज
गोरखपुर।

संख्या– 120 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण जवाहर भवन, छठा तल, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को महानिदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।
3. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर, मेरठ, आगरा, झांसी, आजमगढ, प्रयागराज, अम्बेडकर नगर, कन्नौज, जालौन, सहारनपुर, बदायूं को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उक्त सूचना को अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने का कष्ट करें।
4. प्रभारी अधिकरी–वेबसाइट, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को कालेज की वेबसाइट www.brdmc.ac.in पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।
5. कालेज/चिकित्सालय नोटिस बोर्ड/सूचना पट्ट।

प्रधानाचार्य
राजकीय मेडिकल कॉलेज
गोरखपुर।